राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 122/2018

बिमला पुत्री लिछमण पत्नी रोहिताश उम्र 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बांकोटी पोस्ट बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादिया

ब–ना–म

1. रोशन पुत्र लिछमण उम्र 36 वर्ष
2. संदीप पुत्र लिछमण उम्र 24 वर्ष
3. सुशील पुत्र लिछमण उम्र 21 वर्ष
4. मैना देवी पत्नी राजकुमार उम्र 38 वर्ष
5. पूजा पुत्री राजकुमार नवीरा लिछमण उम्र 12 वर्ष
6. प्रियंका पुत्री राजकुमार नवीरा लिछमण उम्र 10 वर्ष
7. प्रीति पुत्री राजकुमार नवीरा लिछमण उम्र 8 वर्ष
8. विजेन्द्र पुत्र राजकुमार नवीरा लिछमण उम्र 16 वर्ष

(5–8) नाबालिग जरिये संरक्षक माता मैना देवी पत्नी राजकुमार

9. अजीत सिंह पुत्र सहीराम उम्र व्यस्क
10. धर्मवीर पुत्र जुगलाल उम्र 30 वर्ष
11. विक्रम पुत्र जुगलाल उम्र 25 वर्ष
12. बिमला देवी पत्नी जुगलाल उम्र 60 वर्ष

समस्त जाति मेघवाल निवासी बांकोटी पोस्ट बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
15. उप पंजीयक, खेतड़ी।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– दिनांक 28–10–2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:14 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा [illegible]–04–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि [illegible] स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 233 खसरा [illegible].20 है. में वादिया का [illegible] हिस्से का, खाता संख्या 88 खसरा नंबर 16, 17 कुल कि[illegible] 2 कुल रकबा 2.39 [illegible] वादिया का 1/10 हिस्से का तथा खाता संख्या 234 खसरा नंबर 338 रकबा 0.16 है. में वादिया का 1/5 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को सीधे तौर पर व प्रतिवादी सं. 5 लगा. 8 को बतौर जरिये माता संरक्षक प्रतिवादी सं. 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में वादिया के हिस्से की भूमि का कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/2183 दिनांक 16.06.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:14 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

विमला

ब–ना–म

रोशन आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **122/2018**

निर्णय दिनांक :– **28–10–2022**

वादिया की ओर से **श्री अमर सिंह गुर्जर एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **28–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16–06–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **28–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:14 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी